

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन,

सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

क्रमांक 924/213/आउशि/निर्माण शाखा-6 / 17  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 6/07/2017

प्रमुख अभियंता,  
लोक निर्माण विभाग, अरेरा हिल्स, निर्माण भवन,  
प्लॉट नं. 27-28 भोपाल, मध्यप्रदेश.

**विषय:-वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु शासकीय महाविद्यालय नरेला, जिला भोपाल के लिए भवन के अस्थायी रूप से कक्षों के विभाजन कार्य हेतु अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्यों हेतु राशि का प्रस्ताव स्वीकृत करने बावत.**  
संदर्भ:-1.आपका पत्र क्र. बी/4-25/17-18/अन्य विभाग भवन अनुरक्षण/291,दिनांक 05.06.2017  
2.महाविद्यालय का पत्र क्रमांक 122, दिनांक 16.12.2016

---0---

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक-1 के अनुक्रम में लेख है कि उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये योजना क्रमांक 5009-शासकीय महाविद्यालयों के भवनों का रख रखाव के अंतर्गत राशि रूपये 300.00 लाख स्वीकृत की गई है।

शासकीय महाविद्यालय, नरेला वर्तमान में नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये भवन में संचालित है। महाविद्यालय में कमरों की कमी के कारण संचालन में कठिनाई हो रही है अतः भवन के दो बड़े हॉल का अस्थायी जंगम (अलग करने योग्य) विभाजन किया जाना आवश्यक है। इस हेतु नगर निगम भोपाल का प्रॉक्कलन राशि रूपये 10.11 लाख का प्रस्तुत किया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र	महाविद्यालय का नाम एवं स्थान	कार्य का प्रकार	प्रॉक्कलन राशि रूपये लाख में	स्वीकृत राशि रूपये लाख में
1.	प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, करोंद, (नरेला विधान सभा) गैस राहत कालोनी, जैन मंदिर के पास, करोंद, भोपाल, मध्यप्रदेश 462038	दो बड़े हॉल का अस्थायी विभाजन	10.11	05.00
		योग	10.11	05.00

अतः उपरोक्तानुसार योजना क्रमांक 5009 मद से उक्त कार्य हेतु राशि रूपये 05.00 लाख (रूपये पाँच लाख मात्र) एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, नरेला को निर्देशित किया जाता है कि शेष धन राशि रूपये 05.00 लाख (रूपये पाँच लाख मात्र) जिसमें स्थायी स्वरूप के निर्माण सम्मिलित है के लिये जनभागीदारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि की विकास निधि अथवा नगर निगम/गैस राहत विभाग से समन्वय कर प्राप्त करें। उक्त के अतिरिक्त कोई राशि प्रदाय नहीं की जाएगी। उक्त राशि का उपयोग अस्थायी कार्य हेतु नियमानुसार किया जाए, जिसका महाविद्यालय भवन खाली करते समय पुनः उपयोग किया जा सकें। महाविद्यालय भवन लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में नहीं है।

अतः अनुरक्षण मद योजना क्रमांक 5009 से राशि रूपये 5.00 लाख (रूपये पाँच लाख मात्र) प्राचार्य, (अग्रणी) शासकीय हमीदिया कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, भोपाल के डीडीओ कोड 0523802005 में हस्तातरित करें।

“आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित”

o/c


अपर संचालक (वित्त)  
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश.

// 2 //

पृ.क 925/213/आउशि/निर्माण शाखा-6/17

भोपाल, दिनांक 6/7/2017

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
6. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, शाखा-2, मंत्रालय, भोपाल।
7. सहायक संचालक बजट शाखा उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
8. कार्यपालन यंत्री, नगर निगम, भोपाल, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
9. प्राचार्य, शासकीय हमीदिया अग्रणी कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
10. प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, करोंद, (नरेला विधान सभा) गैस राहत कालोनी, जैन मंदिर के पास, करोंद, भोपाल, मध्यप्रदेश। इस निर्देश के साथ सूचित किया जाता है कि तत्काल संबंधित कार्यपालन यंत्री, नगर निगम, भोपाल म.प्र.से संपर्क करें और आवश्यकता एवं प्राथमिकता के अनुसार प्रस्तावित कार्य इसी वित्तीय वर्ष में संपादित कराना सुनिश्चित करें। कार्य की गुणवत्ता एवं प्रगति की अद्यतन स्थिति से आवश्यक रूप से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

  
अपर संचालक (वित्त)  
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश.